

/ PNY

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-0-3-40/17...70...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,

अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सुपौल/वैशाली।

पटना-15, दिनांक- 22/07/17

विज्ञय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-117- पशुधन के क्रय लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-बाढ़/ सुखाडग्रस्त पशुओं का बदलाव, विपत्र कोड-39-2245021170001 के अन्तर्गत कुल ₹0.764 लाख (छिहत्तर हजार चार सौ रूपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेष्टा:- स्वीकृत ।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष - 117- पशुधन के क्रय लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष -0001-बाढ़/सुखाडग्रस्त पशुओं का बदलाव मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :
लघुशीर्ष -117- पशुधन के क्रय लिए किसानों को सहायता । माँग संख्या-39
उपशीर्ष - 0001-बाढ़/सुखाडग्रस्त पशुओं का बदलाव ।
विस्तृत शीर्ष-35-राहत, विषय शीर्ष-01-नगद/वस्तु

(राशि रूपये लाख में)

क्र.°	जिला	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017-18)
1.	2.	3.	4.	5	6
1	सुपौल	0.60	0.00 (शून्य)	0.60 (साठ हजार)	0.60 (साठ हजार)
2	वैशाली	0.164	0.00 (शून्य)	0.164 (सोलह हजार चार सौ)	0.164 (सोलह हजार चार सौ)
कुल योग		0.764	0.00 (शून्य)	0.764 (छिहत्तर हजार चार सौ)	0.764 (छिहत्तर हजार चार सौ)

4 यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 430-2 दिनांक 07.06.17/ वैशाली के पत्रांक 548 दिनांक 04.07.17 द्वारा की गई अधियाचना तथा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय।

अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्ट उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


अपर सचिव

ज्ञापांक-70/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-22/8/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक-70/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-22/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक-70/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-22/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक-70/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-22/8/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक-70/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-22/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव